



2026:AHC:166707

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 27762 सन् 2026

अनिरुद्ध ओझा उर्फ सोखा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक की ओर से अधिवक्ता	:	आलोक चंद्र, करुणेश प्रताप सिंह
विपक्षी पक्षकार की ओर से अधिवक्ता	:	अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन, थाना रामगढ़, जनपद गोरखपुर में धारा 2ख(उन्नीस) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत वाद अपराध संख्या 528 सन् 2025 में जोड़ी गई धारा के संबंध में आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक निर्दोष है तथा वर्तमान प्रकरण में उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि इससे पूर्व आवेदक ने इस न्यायालय के समक्ष जमानत हेतु आवेदन किया था और उसे आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 19879 सन् 2026 में पारित दिनांक 16.06.2026 के आदेश द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था। अब आरोप-पत्र में वर्तमान वाद में गिरोहबंद अधिनियम की धारा 2ख(उन्नीस) जोड़ी गई है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक 18.08.2025 से कारागार में निरुद्ध है तथा यदि उसे जोड़ी गई धारा में जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।
4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अपराध में आवेदक की संलिप्तता के संबंध में उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, अतः वह जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी नहीं है।
5. मैंने पक्षकारों के परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य, आवेदक द्वारा कारागार में बिताई गई अवधि पर विचार करते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जोड़ी गई धारा में जमानत प्रदान किए जाने हेतु आधार स्थापित किया है।
7. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।
8. आवेदक-**अनिरुद्ध ओझा उर्फ सोखा**, जो उपर्युक्त वाद अपराध में संलिप्त है, को जोड़ी गई धारा में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी किए जाने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि जिस नियत तिथि पर साक्षियों की न्यायालय में उपस्थिति हो, उस तिथि पर वह साक्ष्य हेतु कोई स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त के उल्लंघन की दशा में विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करना स्वतंत्र होगा।

(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की दशा में विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-क भारतीय दंड संहिता/धारा 269 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) विचारण के दौरान यदि आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता/धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर आवेदक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 174-क भारतीय दंड संहिता/धारा 209 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(iv) आवेदक को निम्नलिखित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा—(1) वाद के प्रारंभ के लिए, (2) आरोप निर्धारित किए जाने के लिए तथा (3) धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता/धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत बयान दर्ज किए जाने के लिए। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसे उल्लंघन को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करना स्वतंत्र होगा।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ साक्षियों की गवाही के आधार पर स्वतंत्र मत निर्मित करने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करेंगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

10 अगस्त, 2026

ललित शुक्ला

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।